POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 09-10-2024

1. थाना दादरी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को 20,000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त वैगनार कार, क्रेटा गाडी, 01 पाना (आलाकत्ल) के साथ किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 07.10.2024 को थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत हायर गोल चक्कर के पास अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट व डॉग स्कवाड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। डीसीपी ग्रेटर नोएडा द्वारा अज्ञात शव की शिनाख्त हेतु 04 टीमो का गठन किया गया तथा सोशल मीडिया, इलैक्ट्रोनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व पम्पलेट आदि के माध्यम से मृतक की शिनाख्त अमित कुमार सिंह पुत्र उमा शंकर निवासी थाना क्षेत्र बिसरख के रूप मे हुई। दिनांक 09.10.2024 को मृतक की पत्नी द्वारा मु0अ0सं0 0467/2024 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उक्त घटना के अनावरण हेतु गठित 04 टीमो द्वारा घटनास्थल के इनर कार्डन व आऊटर कार्डन व अन्य रास्तो पर लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के पश्चात घटनास्थल पर दो गाडियां वैगनआर व क्रेटा टैमप्रेरी नम्बर पायी गयी तथा दोनो कारो से दो लोग उतरते हुए दिखायी दिये। सीसीटीवी फुटेज व फोटो के आधार पर दोनो संदिग्धो की पहचान मृतक के साथ कम्पनी मे काम करने वाले 01. सचिन तंवर उर्फ संदीप पुत्र ईश्वर सिंह निवासी गांव मांडी थाना फतेहपुर बेरी दिल्ली हाल पता केबी नोज सिटी ग्रीन सोसाइटी बिसरख थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष 2. रमेश उर्फ रामा के रूप मे हुई। घटना के क्रम मे इनके दो अन्य साथी 1. हिमांशु पुत्र मोहन निवासी म0नं0 172 गली नंबर 1 जवाहर कालोनी मांडी पाडी थाना फतेहपुर बेरी दिल्ली उम्र 23 वर्ष 2. ओमप्रकाश उर्फ शिवम उर्फ बैलू पुत्र छोटेलाल निवासी संदीप जनरल स्टोर वाली गली जवाहर कालोनी मांडी पाडी थाना फतेहपुर बेरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष का नाम प्रकाश मे आये ।

दिनांक 09.10.2024 को **थाना दादरी पुलिस** द्वारा प्रकाश मे आये अभियुक्तों हिमान्शु, ओमप्रकाश उर्फ शिवम उर्फ बैलू, सचिन तंवर उर्फ संदीप को मय 01 पाना (आलाकत्ल), 20,000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त वैगनार कार नंबर एचआर 38 एई 9889 व क्रेटा गाडी नंबर टी0924डीएल 7656 के साथ हायर कम्पनी की तरफ से मायचा जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर धारा 238/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

घटना का कारण-- पकडे गये तीनो अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि साहब हम तीनो व हमारा चौथा साथी रमेश उर्फ रामा, मृतक अमित कुमार के साथ काम करते थे, हम सब मिलकर कमीशन का लालच देकर फर्जी ग्राहक बनाकर उनके आधार कार्ड लेकर आधार कार्ड में पता व मोबाइल नम्बर बदलवाकर फर्जी पे स्लिप के आधार पर बैंक में खाता खुलवाकर बैंक से फर्जी लोन स्वीकृत करा लेतें हैं लोन पास होने पर उसका कमीशन हम सभी लोग आपस में बांट लेते है लेकिन अमित कुमार के द्वारा कई लोन के मामलों में हमारा हिस्सा नही दिया गया था। जिसकी वजह से हम तीनों ने अपने चौथे साथी रमेश उर्फ रामा के साथ मिलकर अमित को मारने का प्लान बनाया था। दिनांक 06.10.2024 को अमित कुमार हमने हमारे हिस्सें के रूपये देने के लिए केबी नोज ग्रीन सोसाइटी बिसरख के पास बुलवाया था। अमित कुमार इसी काले रंग की क्रेटा कार से आया था। हम चारो अपनी वेगनआर कार मे उसका इन्तजार कर रहे थे। अमित कुमार के आने पर हम चारो भी उसकी क्रेटा कार मे बैठ गये तथा पैसे के लेन देन को लेकर हम चारो का अमित कुमार से विवाद हुआ। हम तीनो ने अपने चौथे साथी रमेश उर्फ रामा के साथ मिलकर वही पर कार में ही लोहे के पंच व पाने से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी तथा शव की पहचान छुपाने के लिए उसके शव को उसके घर से दूर हायर कम्पनी के पास फेंक दिया। अमित से जो 80 हजार रूपये मिले थे उन्हे हमने आपस मे बांट लिया था।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 अदद पाना (आलाकत्ल),
2. 20,000/- रूपये,
3. घटना में प्रयुक्त वैगनार कार नंबर एचआर 38 एई 9889,
4. घटना मे प्रयुक्त क्रेटा गाडी नंबर टी0924डीएल 7656एफ

अभियुक्तों का विवरण--

1. हिमान्शु पुत्र मोहन नि0 मकान नम्बर 172 गली नं0 01 जवाहर कालोनी मांडीपाड़ी थाना फतेहपुर बेरी दिल्ली उम्र 23 वर्ष ।

2. ओमप्रकाश उर्फ शिवम उर्फ बेलू पुत्र छोटेलाल नि0 संदीप जनरल स्टोर वाली गली जवाहर कालोनी मांडीपाड़ी थाना फतेहपुर बेरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष।
3. सचिन तंवर उर्फ संदीप पुत्र ईश्वर सिंह निवासी गांव मांडी थाना फतेहपुर बेरी दिल्ली हाल पता केबी नोज सिटी ग्रीन सोसाइटी बिसरख थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0467/2024 धारा 103(1)/238/61(2) बीएनएस थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सैक्टर 63 पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 07.10.2024 को वादिया द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें दिनांक 06.10.2024 को वादिया के बेटे उम्र 10 वर्ष चिप्स लेने के लिए वादिया के घर के पास दुकान पर गया था। वादिया अपने बेटे को लेकर चिप्स वापस कर कुरकुरे लेने के लिए विवेक की दुकान पर गयी तो विवेक द्वारा चिप्स वापस लेकर कुरकुरे देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर वादिया एवं दुकानदार विवेक के बीच कहासुनी हो गयी। इस पर दुकानदार विवेक द्वारा अपनी माता एवं बहन के साथ मिलकर वादिया के साथ गाली-गलौच की गयी तथा मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके के आधार पर थाना सैक्टर 63, नोएडा पर मु0अ0स0 454/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-- अभियुक्त 1-विवेक उर्फ अमित पुत्र शेर सिंह एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अन्य अभियुक्त 2-करन पुत्र वेदप्रकाश को बहलोलपुर अंडरपास के पास एफएनजी सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्त विवेक उर्फ अमित के कब्जे से घटना मे प्रयक्त 01 चाकू एवं अभियुक्त करन के कब्जे से घटना मे प्रयक्त 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जिसके आधार पर उक्त अभियोग में धारा 191(2) बीएनएस की एवं अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त बरामद तमंचे एवं चाकू के आधार पर धारा 3/4/25 शस्त्र अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। उक्त अभियोग की अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 115(2)/352/351(2)/191(2) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधिनियम में की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- विवेक उर्फ अमित पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम सरदामई थाना चिबरामऊ जनपद कन्नौज हाल पता गली नं0 021, 25 फुटा रोड़ छिजारसी थाना सेक्टर-63 नोएडा (उम्र 30 वर्ष)
2- करन पुत्र वेदप्रकाश निवासी त्रिलोकपुरी ब्लाक 13/344 थाना कल्याण पुरी दिल्ली 91 (उम्र करीब 21 वर्ष)

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 454/2024 धारा 115(2)/352/351(2)191(2) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1- एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस
2- एक चाकू नाजायज